(अनुसूची–१४ –फारम सं0 ५६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्त०क० १६४१ का नियम १२६)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

अधिग्रहण वाद सं0– 02/2015

सरकार (मार्फत अनु0 पदाधिकारी,सदर,छपरा)

बनाम

प्रकाश सिंह एवं अन्य

आदेश का क्रम–संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख–सहित
17.01.2015	अनुमंडल पदाधिकारी,सदर,छपरा के पत्रांक 70 दिनांक 14.01.2015 के द्वारा संलग्न कर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सदर,छपरा के द्वारा प्रेषित अधिग्रहण संबधित प्रस्ताव के साथ संलग्न कागजातों(प्राथमिकी, जप्ती सूची, एवं जिम्मेनामा) की छायाप्रति का अवलोकन किया। प्रतिवेदन से यह विदित होता है कि दिनांक 27.12.14 को प्रखंड विकास पदाधिकारी, छपरा, सदर के द्वारा पटना से छपरा आने वाली मुख्य सड़क पर धेधटा मेला के समीप एक पीकअप गाड़ी नंबर BR04M-3145 पर लदे 32 पैकेट गेहूँ (प्रति पैकेट 50 किलो) कुल 16 क्विंटल गेहूँ को जप्त किया गया था, जिसके फलस्वरूप अवैध रूप से खाद्यान की कालाबाजारी के आरोप में श्री प्रकाश सिंह वल्द केदार सिंह, साकिन शेरपुर एवं पीकअप चालक श्री विजय सिंह वल्द कपिलदेव सिंह के विरूद्व 6 A के अंतर्गत छपरा मुफस्सिल थाना कांड संख्या 267/2014 दिनांक–27.12.14 दर्ज किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी,सदर, छपरा के पत्रांक 70, दिनांक 14.01.2015 के द्वारा जप्त खाद्यान्न एवं जप्त वाहन के अधिग्रहण का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। चूंकि जप्त खाद्यान्न नष्ट होने वाला पदार्थ है, इसलिए आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 (ए–2) के अन्तर्गत उचित दर पर बिक्री हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, छपरा को प्राधिकृत किया जाना है। अनुमंडल पदाधिकारी, सदर,छपरा को आदेश दिया जाता है कि यदि किसी व्यवहार न्यायालय के आदेश के प्रतिकूल नहीं हो तो वे जप्त खाद्यान्न को जप्ती सूची के अनुसार डाक के द्वारा बिक्री कराकर विक्रय राशि को जिला कोषागार में उचित शीर्ष में जमा कराकर अनुपालन प्रतिवेदन दिनांक 05.02.2015	

तक भेजना सुनिश्चित करेंगें।

थानाध्यक्ष छपरा मुफफसिल को निर्देश है कि छपरा मुफफसिल थाना कांड संख्या 267/14, दिनांक–27.12.14 से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन(अभियुक्त की गिरफ्तारी, आरोप पत्र दाखिल करना आदि) आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक 7EC सारण, छपरा से अनुरोध है कि वे उक्त थाना कांड से संबंधित वाद के माननीय न्यायालय में दाखिल होने के पश्चात् उसकी प्रगति के संबंध में पाक्षिक प्रतिवेदन भेजने का कष्ट करेंगे ताकि समय–समय पर तदनुसार यथोचित आदेश पारित करने की कार्रवाई की जा सकें। अनुमंडल पदाधिकारी, सदर,छपरा के माध्यम से सभी संबंधित को इस आदेश का तामिला कराया जाए।

अभिलेख 05.02.2015 को प्रस्तुत किया जाए।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 60 दिनांक 29/1/15

प्रतिलिपि – SDO सदर, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेशानुसार अनुरोध है कि संलग्न आदेश का तामिला संबंधित को कराकर तामिला प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

प्रतिलिपि – थानाध्यक्ष, छपरा मुफस्सिल, छपरा / DPO, NIC, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।
29/1/15